



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वाणित्यर लिंक कोर्ट रोवा क्ष.प्र. १



352
5-7-13

R-2923-11/13

- 1. इन्द्रमणि
- 2. इन्द्रकरण
- 3. साहबलाल मूलर
- 4. राजकरण

सभी के पिता रामकृपाल राम ब्राह्मण सभी निवासी
ग्राम सलैया, तहसील घुरहट, जिला सीधी क्ष.प्र. १

पुनरीक्षणकारिण

बनाम

उदितराम तनय शिवलक्ष्मणराम ब्रा. निवासीग्राम सलैया, तहसील घुरहट, जिला
सीधी क्ष.प्र. १

उत्तरार्थिण

पुनरीक्षण याचिका विरुद्ध न्यायालय अमर कलेक्टर
सीधी के पकरण का 130 निगरानी/ 11x12 में
पारित आदेश दिनांक 25.4.2013

अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.क्ष. रा.सं. 1959

आधिकारिता श्री रामाक्षर
मुक्ता द्वारा प्रस्तुत
रोवा, दि. 05.07.13

धलक हाफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म
ग्वाणित्यर

माचवर,

पुनरीक्षण के सूक्ष्म तथ्य :-

यहकि ग्राम सलैया की आ.कृ. 151 रकवा 7 कही एवं 87 रकवा 5 कही
जो उत्तरदाता के स्वत्व की भूमि है पर निगरानीकर्ता गण का आक्षिपत्य
मानकर बेदखली आदेश का पालन न करने के कारण तहसीलदार घुरहट के

22-7-13


M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०नि.2923-दो/13

जिला-सीधी

इन्द्रमणि / उदितराम

(1)	(2)	(3)
18.01.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	